

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ----- उपखण्ड अधिकारी ----- मुकाम ----- चिड़ावा -----
 ----- किरमत बानो ----- बनाम ----- अकवरी वगै० -----
 म मुकदमात ----- प्रा० पत्र 212 ----- नं. ----- 19 ----- सन् ----- 2022 -----

4015
 2022
 40

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
1.02.22	<p>आज यह प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी अप्रार्थीगण हेतु प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर की जावें। अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रार्थीया का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमी खसरा नं० 3 रकबा 0.70 है०, खसरा नं० 4 रकबा 0.61 है०, खसरा नं० 5 रकबा 2.90 है० मौजा ग्राम जाखड़ा के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तिथि तक बनाये रखे। मिसल बइन्तजार तलबी हेतु दिनांक 21.03.2022 को पेश हो।</p> <p>↓</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा</p> <p>15⁰³/₂₂ पत्तापत्नी पत्र की तलबानी प्रकरण की प्रार्थी की वकील के द्वारा की तारीख पत्र की लाने का निर्दिष्ट किया व प्रार्थी पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की कोर्ट के पत्र पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15/03/22 अतिशय नोटिस के समीप किया जाता है। पत्तापत्नी के अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत ही प्रार्थी की वकील के द्वारा</p> <p>↓</p> <p>उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्डुनू (राज.)</p>	<p>Not pass 15/3/22</p> 